

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 6 सितम्बर 2014—भाद्र 15, शक 1936

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-19-75-2000-बारह-1.—खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“अनुसूची-तीन
(नियम 29 देखिए)

रायल्टी की दरें

अनुक्रमांक (1)	खनिज (2)	दरें (3)
1.	आकारीय पत्थर ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लॉक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है.—	
(क)	काला रंग	रुपये 2000/- प्रति घनमीटर
(ख)	अन्य रंग	रुपये 1000/- प्रति घनमीटर

(1)	(2)	(3)
2.	(क) संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है;	रुपये 1000/- प्रति घनमीटर
	(ख) अन्य प्रयोजनों के लिए संगमरमर	रुपये 500/- प्रति घनमीटर
3.	फ्लेगस्टोन—प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श तथा छत आदि के लिए किया जाता है.—	
	(क) काला रंग	रुपये 500/- प्रति घनमीटर
	(ख) अन्य रंग	रुपये 300/- प्रति घनमीटर
	(ग) अन्य प्रयोजनों के लिए फ्लेगस्टोन	रुपये 100/- प्रति घनमीटर
4.	साधारण रेत, बजरी	रुपये 100/- प्रति घनमीटर
5.	मुरूम	रुपये 50/- प्रति घनमीटर
6.	पत्थर.—	
	(क) बोल्टर	रुपये 50/- प्रति घनमीटर
	(ख) गिट्टी तथा रोड मेटल	रुपये 100/- प्रति घनमीटर
	(ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा तथा ढोका	रुपये 100/- प्रति घनमीटर
7.	अन्य गौण खनिज	रुपये 100/- प्रति घनमीटर

अनुसूची-चार
(नियम 29 देखिए)

प्रति हैक्टर, प्रतिवर्ष अनिवार्य भाटक (डेडरेंट) की दरें, रुपयों में

अनुक्रमांक	खनिज की श्रेणी	उत्खनन पट्टे का प्रथम वर्ष	उत्खनन पट्टे के द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष तक	उत्खनन पट्टे का चतुर्थ वर्ष और उससे आगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आकारीय पत्थर-ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है.	निरंक	30,000/-	40,000/-
2.	संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के प्रयोजन के लिए किया जाता है तथा अन्य प्रयोजनों के लिए संगमरमर.	निरंक	30,000/-	40,000/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	चूना पत्थर जब उसका उपयोग भट्टों में जलाकर भवन सामग्री के रूप में उपयोग किये जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए किया जाए.	निरंक	30,000/-	40,000/-
4.	फ्लेगस्टोन-प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिए किया जाता है.	निरंक	30,000/-	40,000/-
5.	क्रेशर के लिए पत्थर	निरंक	30,000/-	40,000/-
6.	साधारण रेत, बजरी	निरंक	30,000/-	40,000/-
7.	मुरूम	निरंक	25,000/-	30,000/-
8.	भवन प्रयोजन के लिए पत्थर तथा अन्य गौण खनिज	निरंक	25,000/-	30,000/-

टिप्पणी.—उत्खनन पट्टों के नवीकरण की दशा में, लागू अनिवार्य भाटक (डेडरेंट) की दरें उपरोक्त कालम (5) के अनुसार होंगी.”.

No. F-19-75-2000-XII-1.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, for Schedule III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-III

(See rule 29)

RATES OF ROYALTY

S. No. (1)	Mineral (2)	Rates (3)
1.	Dimensional Store-Granite, Dolerite and other Igneous and Metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimensions—	
(a)	Black Colour	Rs. 2000/- per cu. mt.
(b)	Other Colour	Rs. 1000/- per cu. mt.
2.	(a) Marble, which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimensions ;	Rs. 1000/- per cu. mt.
(b)	Marble stone for other purposes.	Rs. 500/- per cu. mt.
3.	Flagstone-natural sedimentary rock which is used for flooring and roof top etc.—	
(a)	Black Colour	Rs. 500/- per cu. mt.
(b)	Other Colour	Rs. 300/- per cu. mt.
(c)	Flagstone for other purposes	Rs. 100/- per cu. mt.

(1)	(2)	(3)
4.	Ordinary sand and bajri	Rs. 100/- per cu. mt.
5.	Murum	Rs. 50/- per cu. mt.
6.	Stone.—	
(a)	Boulder	Rs. 50/- per cu. mt.
(b)	Gitti and road metal	Rs. 100/- per cu. mt.
(c)	Dressed Stone, Khanda and Dhoka	Rs. 100/- per cu. mt.
7.	Other minor Minerals	Rs. 100/- per cu. mt.

SCHEDULE-IV

(See rule 29)

RATES OF DEAD RENT IN RUPEES PER HECTARE PER ANNUM

S. No.	Category of Mineral	Ist year of the quarry lease	2nd year to 3rd year of the quarry lease	4th year of the quarry lease and onward
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dimensional Stone-Granite, Dolerite and other Igneous and Metamorphic rocks which are used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimensions.	Nil	30,000/-	40,000/-
2.	Marble, which is used for cutting and polishing purpose for making blocks, slabs and tiles of specific dimensions and Marble for other purposes.	Nil	30,000/-	40,000/-
3.	Limestone when used in Kilns for manufacture of lime used as building material.	Nil	30,000/-	40,000/-
4.	Flag-stone natural Sedimentary rock, which is used for flooring and roof top etc.	Nil	30,000/-	40,000/-
5.	Stone for crusher	Nil	30,000/-	40,000/-
6.	Ordinary sand and bajri	Nil	30,000/-	40,000/-
7.	Murum	Nil	25,000/-	30,000/-
8.	Stone for building purpose and other minor Minerals.	Nil	25,000/-	30,000/-

Note.—In case of renewal of quarry lease, the rates of dead rent applicable shall be as per column (5) above.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवशेखर शुक्ला, सचिव.